



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में 02 अभियुक्त को 04 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 14,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 984/2008 धारा-504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.इन्द्रपाल पुत्र सुकमा केवट 2.संजय पुत्र किशना केवट निवासीगण ग्राम सिडरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व ₹14,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी विजय सिंह



विवेचक-
पुलिस उपाधीक्षक
जोगेन्द्र पाल सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
हे0का0 बिजमान सिंह